

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 15, मंगलवार, श॥के 1948- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 28, 2026

संख्या प.5(138)खान/ ग्रुप-2/2009 :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एम.एम.डी.आर एक्ट, 1957 की धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक तथा परमाणु खनिज रियायती नियम, 2016 के नियम 4(1) व 4(2) के अन्तर्गत क्षेत्र ब्लॉक-1, निकट ग्राम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में क्षेत्र 10.37 वर्ग किमी मे खनिज एटोमिक मिनरल्स, आर.ई.ई. एवं एसोसियेटेड मिनरल्स के विस्तृत विभागीय पूर्वक्षण कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के पक्ष में (पूर्व मे स्वीकृत/धारित खनन पट्टा, पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र एवं क्वारी लाइसेंस के क्षेत्र को छोडकर) 5 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया जाता है।

आरक्षित किये जाने वाले उक्त क्षेत्र का विवरण

ब्लॉक -1 निकट ग्राम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

टोपोशीट संख्या 45 H/14

ब्लॉक के सीमा बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
P1	24°30'48.02"N	73°46'11.33"E
P2	24°30'0.80"N	73°46'12.96"E
P3	24°30'1.15"N	73°47'54.85"E
P4	24°32'4.11"N	73°48'10.75"E
P5	24°32'0.30"N	73°46'33.44"E
P6	24°30'48.08"N	73°46'30.27"E
कुल क्षेत्रफल- 10.37 वर्ग कि.मी..		

उपरोक्त क्षेत्रों के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय अधीक्षण भू-वैज्ञानिक (फॉस्फेट) , उदयपुर, खनि अभियन्ता, उदयपुर एवं निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

अरविन्द सारस्वत,

संयुक्त शासन सचिव।

1550

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।